IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

३१ अगस्त २०१७

The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051	The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroz Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001

Dear Sir,

Submission of copy of Postal Ballot Notice

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Postal Ballot Notice being issued to the Members of the Bank for passing special resolution in connection with Preferential Allotment of equity shares aggregating upto ₹1861 crore to Government of India.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

भवदीय,
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

31/08/17

[पवन अग्रवाल]
कंपनी सचिव

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838
पंजीकृत कार्यालय – आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005
फोन : (022) 66552779 / 66194058
ईमेल : idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट–www.idbi.com

डाक मतपत्र सूचना

प्रिय सदस्य(यो),

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसरण में नीचे प्रस्तुत संकल्प को डाक मतपत्र के जरिए एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करने का प्रस्ताव है.

विशेष कारोबार

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 तथा अन्य लागू विधियों, यदि कोई हो तथा अन्य सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन और बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा संशोधनों के अधीन, बैंक के शेयरधारकों द्वारा बैंक के निदेशक मंडल को 04 सितंबर 2017 (सुसंगत तारीख) को प्रकल्पित दर से भारत सरकार को 10/- रूपये मूल्य के 1861 करोड़ रूपये (प्रीमियम राशि सहित) की सकल समतुल्य राशि के शेयर अधिमान्य आबंटन के आधार पर प्रस्तावित करने, निर्गमित करने और आबंटित करने तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार अधिमान्य आबंटन के अंतर्गत निर्गमित उक्त पूंजी को बैंक की वर्तमान समादत्त पूंजी में जोड़ने के लिए सदस्यों की सहमति दी जाए और एतद् द्वारा दी जाती है.

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838
Regd. Office-IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005
Phone-(022) 66552779 / 66194058
e-mail : idbiequity@idbi.co.in, website-www.idbi.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the resolution appended below is proposed to be passed as Special Resolution by way of Postal Ballot:-

Special Business

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as Special Resolution:

"**RESOLVED THAT**, pursuant to section 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the B.R. Act, 1949, Articles of Association of the Bank, SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and other applicable law(s), if any and subject to approval of other statutory/regulatory bodies, if any, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, the consent of Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to offer, issue and allot such number of equity shares of ₹ 10/- each, at a price to be calculated on September 04, 2017 (the relevant date) to Government of India aggregating upto ₹1861 crore (inclusive of premium amount)on Preferential Allotment basis, in terms of the provisions of Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the amount of said capital issued under the Preferential Allotment, to be added to the existing paid-up share capital of the Bank."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीज़ें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के एमडी एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है''.

बोर्ड के आदेश से
कृते **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

स्थान : मुंबई **(पवन अग्रवाल)**
दिनांक : 21 अगस्त 2017 **कंपनी सचिव**

टिप्पणियां :

- डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.
- यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके नाम 25 अगस्त 2017 को सदस्यों के रजिस्टर/राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल)/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) से प्राप्त लाभार्थी स्वामियों की सूची में उपलब्ध हैं। डाक मतपत्र के साथ नोटिस भेजने का कार्य 04 सितंबर 2017 को पूरा हो जाएगा.
- जिन सदस्यों ने कंपनी कार्य मंत्रालय की हरित पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता रजिस्टर करवाया हैं, उन्हें ईमेल द्वारा डाक मतपत्र की सूचना भेजी जा रही है और अन्य सदस्यों को डाक मतपत्र फॉर्म के साथ डाक/कूरियर द्वारा सूचना भेजी जा रही हैं.
- कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 एवं नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट कारोबार की मद को डाक मतपत्र द्वारा पारित किया जाना है.
- जो सदस्य अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रूप से देना चाहते हैं, उनके लिए बैंक कार्वी की ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

By Order of the Board,
For **IDBI Bank Limited**

Place : Mumbai **(Pawan Agrawal)**
Dated : August 21, 2017 **Company Secretary**

NOTES:

- An Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the business specified in the Postal Ballot Notice is annexed hereto.
- The Notice is being sent to all Members, whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on August 25, 2017. The dispatch of notice alongwith Postal Ballot Form will be completed on September 04, 2017.
- Members who have registered their email ids for receipt of the documents in electronic mode under the Green Initiative of Ministry of Corporate Affairs, are being sent the Notice of Postal Ballot by email and others are being sent by post/courier along with the Postal Ballot Form.
- In terms of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), the Item of Business set out in the Postal Ballot Notice is sought to be passed by Postal Ballot.
- The Bank is providing Karvy's e-voting facility to enable those Members to vote who wish to cast their votes electronically.

- बैंक ने डाक द्वारा मतदान प्रक्रिया को सही एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सेक्रेटरीज़ की पार्टनर सुश्री अपर्णा गाडगिल/सुश्री मालती कुमार को संवीक्षक नियुक्त किया है.
- **सदस्य वोटिंग के लिए सिर्फ एक तरीके अर्थात् या तो भौतिक मतपत्र द्वारा या ई–वोटिंग का चुनाव कर सकते हैं. यदि सदस्य दोनों तरीकों से मतदान करते हैं तो ई–वोटिंग के जरिए किया गया मतदान प्रभावी होगा तथा भौतिक डाक मतपत्र के जरिए दिया गया वोट अवैध माना जाएग.**
- भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि संलग्न डाक मतपत्र फॉर्म में छपे हुए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. विधिवत रूप से भरे हुए डाक मतपत्र फॉर्म 4 अक्तूबर 2017 को शाम 5 बजे तक संवीक्षक के पास पहुँच जाने चाहिए. यदि कोई भी डाक मतपत्र फॉर्म उपर्युक्त समय और तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उसे सदस्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, के रूप में माना जाएगा.
- डाक मतपत्र के परिणाम की घोषणा 6 अक्तूबर 2017 को या उससे पहले प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाएगी तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार इसे कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
- जिन सदस्यों को ईमेल द्वारा डाक मतपत्र सूचना प्राप्त हुई है और जो भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र फॉर्म के जरिए अपना मतदान करना चाहते हैं वे बैंक की वेबसाइट www.idbi.com या डाक मतपत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबावली वित्तीय जिला, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032-[टेलीफोन नंबर (040) 67162222, टोल फ्री नंबर 1800-345-4001, फ़ैक्स नंबर (040) 23420814, ई–मेल : einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लि., ईक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई -400 005 (022- 66552779 / 3336 / 3062 / 66194058) को लिखकर डुप्लीकेट डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.

- The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil / Ms. Malati Kumar, Partners of M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.
- **The Members can opt only one mode of voting, i.e., either by physical ballot or e-voting. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical postal ballot form will be treated as invalid.**
- Members desiring to exercise vote by physical postal ballot are requested to carefully read the instructions printed on the attached Postal Ballot Form. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. on October 04, 2017. Any Postal Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Member has not been received.
- The result of the Postal Ballot shall be declared by the MD & CEO on or before October 06, 2017 and displayed on the Bank's website at www.idbi.com and shall also be displayed on the website of Karvy at https://evoting.karvy.com in terms of Rule 20 and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.
- Members, who have received the Postal Ballot Notice by email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.idbi.com or by writing to Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank, located at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 [Tel.No.(040) 67162222, Toll Free No. 1800-345-4001, Fax No.(040) 23420814, E-mail : einward.ris@karvy .com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 20th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022- 66552779 / 3336 / 3062 / 66194058).

- संकल्प, यदि आवश्यक बहुमत द्वारा पारित हुआ तो, वह पूर्णत: भरे हुए डाक मतपत्र या ई–वोटिंग के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख अर्थात् बुधवार, 4 अक्तूबर 2017 को पारित हुआ समझा जाएगा.
- ई–वोटिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

[क] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई–वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/फोलियो संख्या कार्वी की ई–वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.

i. ई–मेल खोलें तथा अपने क्लाईंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल खोलें अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' को खोलें. उपर्युक्त पीडीएफ फ़ाइल में ई–वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.

ii. यूआरएल https://evoting.karvy.com को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

iii. Shareholder "Login" पर क्लिक करें.

iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. "Login" पर क्लिक करें.

v. 'Password change' मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/ अक्षरों या इनसे युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.

vi. "e-Voting" का होम पृष्ठ खुलेगा. "e-Voting"-Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें.

viii. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि **मंगलवार, 5 सितंबर 2017 को सुबह 9 बजे (भारतीय समय के अनुसार) शुरू होगी और बुधवार 4 अक्तूबर 2017 को शाम 5 बजे (भारतीय समय के अनुसार) समाप्त होगी** .

ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर 'Confirm' पर क्लिक करें.

- The resolution, if approved by the requisite majority shall be deemed to have been passed on Wednesday, October 04, 2017, i.e., the last date specified for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting.
- The process and manner of e-voting shall be as follows:

[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of Karvy and who do not have their existing user id and password.

i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf ' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. Launch internet browser by typing the URL: https://evoting.karvy.com

iii. Click on Shareholder "Login"

iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. Home page of "e-Voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.

viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from **Tuesday, September 05, 2017 (9 a.m. IST) and ends on Wednesday, October 04, 2017 (5 p.m. IST).**

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. पुष्टिकरण के बाद, “Vote Cast Successfully” संदेश प्रदर्शित होगा.

xi. यदि आपने कारोबार की मद पर एक बार वोट दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xii. संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@karvy.com को भेजें.

[ख] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई–वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई–वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड हैं.

i. यूआरएल https://evoting.karvy.com को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

ii. Shareholder "Login" पर क्लिक करें.

अपनी यूजर आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड डालें (यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हों तो *https://evoting.karvy.com* पर जाकर “Forgot User Details/Password” विकल्प का प्रयोग करते हुए आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं).

iii. “Login” पर क्लिक करें.

iv. “e-Voting” का होम पेज प्रदर्शित होगा. “e-Voting” - Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

v. कारोबार की मद(दों) के पक्ष में या विपक्ष में अपना वोट डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के “E-Voting Event Number (EVEN)” को सिलेक्ट करें. (कृपया नोट करें कि एक बार मत डालने के बाद उसे संशोधित नहीं किया जा सकता. ईवीईएन के लिए, संकल्प पर वोट किए जाने तक या वोटिंग अवधि की अंतिम तिथि, अर्थात **04 अक्तूबर 2017 को शाम 5 बजे तक (भारतीय समय के अनुसार)**, जो भी पहले हो, की समाप्ति तक आप कार्वी के ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कितनी भी बार लॉग–इन कर सकते हैं). मतदान अवधि **मंगलवार, 5 सितंबर 2017 को सुबह 9 बजे (भारतीय समय के अनुसार) शुरू होगी और बुधवार 4 अक्तूबर 2017 को शाम 5 बजे (भारतीय समय के अनुसार) समाप्त होगी.**

vi. “Cast Vote” के खुलते ही आप “e-Voting” के लिए तैयार हैं.

x. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.

xi. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

[B] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of Karvy.

i. Launch internet browser by typing URL: https://evoting.karvy.com

ii. Click on Shareholder - Login

Enter your User ID and existing password (*If you forgot your password, you can reset your password by using “Forgot User Details/Password” option available on https://evoting.karvy.com).*

iii. Click “Login”

iv. Home page of “e-Voting” appears. Click on “e-Voting” - Active Voting Cycles.

v. Select E-Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited for casting your vote in favour or against the Item of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified). For an EVEN, you can log-in any number of times on e-voting platform of Karvy till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e., up to **5 p.m. (IST) of October 04, 2017**, whichever is earlier. Voting period commences on and from **Tuesday, September 05, 2017 (9 a.m. IST) and ends on Wednesday, October 04, 2017 (5 p.m. IST).**

vi. Now you are ready for ‘e-Voting’ as ‘Cast Vote’ page opens.

vii. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना वोट दें, **"Submit"** पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर **"Confirm"** पर क्लिक करें.

viii. यदि आपने संकल्प पर एक बार मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ix. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को **scrutinizer@snaco.net** के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति **evoting@karvy.com** को भेजें.

कृपया नोट करें कि:

- डाक मत पत्र अथवा ई वोटिंग प्लेटफॉर्म के जरिये मतदान करने वाले सदस्यों के लिए मतों के अधिकार विनिर्दिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट) अर्थात शुक्रवार 25 अगस्त 2017 की तारीख को बैंक की समादत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए साइट पर उपलब्ध 'Forgot Password' के विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से 'e-Voting' के लिए किया जा सकता है जिनमें आप सदस्य हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे पूर्णत: गोपनीय रखें.
- सदस्यगण कृपया नोट करें कि ई–वोटिंग सुविधा बुधवार, 4 अक्तूबर 2017 की शाम 5.00 (भारतीय समय के अनुसार) बजे ब्लॉक कर दी जाएगी.

सूचना का उपाबंध

विशेष कारोबार की मद सं. 1 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

भारत सरकार ने 9 अगस्त 2017 को आईडीबीआई बैंक में इक्विटी पूंजी के अधिमान्य निर्गम के रूप में 1861 करोड़ रूपये की शेयर आवेदन राशि लगाई थी ताकि आईडीबीआई बैंक समय समय पर जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार टीयर। पूंजी बरकरार रख सके. इस संबंध में उसी तारीख को स्टॉक एक्सचेंज में आवश्यक प्रकटन कर दिया गया था. तदनुसार यह प्रस्ताव है कि कंपनी

vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on **"Submit"** and also **"Confirm"** when prompted.

viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

ix. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at **scrutinizer@snaco.net** with a copy marked to **evoting@karvy.com**

Please note that:

- The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the **Cut-off date of Friday, August 25, 2017** for Members voting by Postal Ballot Form or on e-voting platform.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your Login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolution(s) placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that the e-voting facility shall be blocked forthwith on Wednesday, October 04, 2017 at 5 p.m. (IST).

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statement in respect of Item No.1 of the Special Business in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013

Govt. of India had on August 09, 2017 infused share application money of ₹1861 crore in IDBI Bank towards Preferential Issue of Equity Capital to enable IDBI Bank to maintain its Tier I capital in accordance with the regulatory guidelines issued from time to time. Necessary disclosure was made to Stock Exchanges in this regard on the same date. Accordingly, it is proposed to obtain shareholders' approval under

अधिनियम 2013 की धारा 62(1) (सी) के तहत 04 सितंबर 2017 (सुसंगत तारीख) को प्रकल्पित दर से भारत सरकार को 10/- रूपये मूल्य के 1861 करोड़ रूपये (प्रीमियम राशि सहित) की सकल समतुल्य राशि के शेयर अधिमान्य आबंटन के आधार पर प्रस्तावित करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाए. सेबी (आईसीडीआर) विनिमय, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों द्वारा संकल्प को पारित करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर अथवा भारत सरकार और/या अन्य वैधानिक/नियामक अनुमोदन, यदि कोई हो, के मिलने के 15 दिन के भीतर शेयरों का अधिमान्य आबंटन पूरा हो जाना चाहिए. इसके इलावा, सेबी (आईसीडीआर) विनिमय 2009 की धारा 73 के अंतर्गत अधिमान्य आबंटन से संबंधित विशेष प्रकटनों का उल्लेख शेयरधारकों को भेजे जा रहे नोटिस के साथ उपाबद्ध व्याख्यात्मक विवरण में किया जाना है जो कि शेयरधारकों की जानकारी के लिए यहाँ नीचे दिए जा रहे हैं :

अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की पूंजी पर्याप्तता की गणना करते हुए इसमें वृद्धि करना.
ऑफर में अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों, निदेशकों या निर्गमकर्ता के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का प्रस्ताव.	ऑफर में अभिदान करने के लिए निदेशकों या निर्गमकर्ता के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का कोई प्रस्ताव नहीं है. तथापि यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार के दिनांक 9 अगस्त 2017 के पत्र द्वारा उनके पक्ष में अधिमान्य शेयर जारी करने संबंधी सम्प्रेषण के अनुसार भारत सरकार (मुख्य प्रवर्तक) को 1861 करोड़ रूपये (रूपये एक हजार आठ सौ इकसठ करोड़ मात्र) की सकल राशि के शेयर जारी किए जाएँ.
सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के अनुसार सुसंगत तारीख व मूल्य.	सुसंगत तारीख 04 सितंबर 2017 (अर्थात विशेष संकल्प पारित करने की तारीख 04 अक्तूबर 2017 से एक महीना पहले) है. डाक मतपत्र द्वारा विशेष संकल्प पारित किए जाने के तथ्य को देखते हुए मूल्य का परिकलन 4 सितंबर 2017 की सुसंगत तारीख को किया जाएगा तथा शेयरधारकों को इसकी सूचना समाचार पत्र में विज्ञापन तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी, जिसे 21 अगस्त 2017 को डाक मत पत्र सूचना जारी करने केबाद अवधारित किया जाएगा.

section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to offer, issue and allot such number of equity shares of ₹10/- each, at a price to be calculated on September 04, 2017 (the relevant date), to Government of India aggregating upto ₹1861 crore (inclusive of premium amount) on Preferential Allotment basis.In terms of the provisions of chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Preferential Allotment of shares is required to be completed within a period of 15 days from the date of passing of resolution by the shareholders or within 15 days of getting approval of GoI and/ or other statutory/ regulatory authority, if any, whichever is later. Moreover, the specific disclosures relating to the Preferential Allotment as prescribed under clause 73 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 to be made to the shareholders in the Explanatory Statement annexed to the Shareholders' notice are submitted herein-below for information of the shareholders:

The objects of the Preferential Issue.	To augment the capital adequacy of the Bank computed in terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.
The proposal of the Promoters, Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer.	There is no proposal of the Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer. However, it is proposed to issue the shares to Government of India (the Promoter) aggregating upto ₹1861 crore (Rupees One Thousand Eight Hundred Sixty One Crore only) in terms of Govt. of India's infusion of share application money on August 09, 2017 vide their communication of the same date towards Preferential Issue of equity in their favour.
Relevant date and the price computed as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009.	The Relevant Date is September 04, 2017 (i.e. one month before the date of passing of special resolution on October 04, 2017). In view of the fact that Special Resolution will be passed through Postal Ballot, the price will be calculated on the Relevant Date of September 04, 2017 and will be informed to the Shareholders through Newspaper Advertisement and by displaying on the website as the same will be determined after the issue of Postal Ballot Notice on August 21, 2017.

अधिमान्य निर्गम से पहले और बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का स्वरूप.	**अधिमान्य निर्गम से पहले आईडीबीआई बैंक लि. की शेयरधारिता का स्वरूप (18.08.2017 को) :** शेयरों की सं. / प्रतिशत प्रवर्तक (भारत सरकार) 1770605712 75.10 अन्य 587024010 24.90 कुल **2357629722** **100.00** **अधिमान्य निर्गम के बाद आईडीबीआई बैंक लि. की शेयरधारिता का स्वरूप :** अधिमान्य निर्गम के बाद आईडीबीआई बैंक लि. की शेयरधारिता का स्वरूप का निर्धारण 4 सितंबर 2017 की सुसंगत तारीख को शेयर मूल्य के परिकलन के बाद किया जाएगा तथा शेयरधारकों को इसकी सूचना समाचार पत्र में विज्ञापन देकर तथा वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी, जिसे 21 अगस्त 2017 को डाक मत पत्र सूचना जारी करने के बाद अवधारित किया जाएगा.
अधिमान्य निर्गम का कार्य कितने समय में पूरा कर लिया जाएगा.	अधिमान्य निर्गम का कार्य विशेष संकल्प पारित होने से 15 दिन के भीतर अर्थात् 04 अक्तूबर 2017 से 15 दिन के भीतर अथवा अधिमान्य निर्गम के संबंध में भारत सरकार तथा/ किसी अन्य सांविधिक/ विनियामक निकाय से लंबित अनुमोदन, यदि कोई हो, के प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर, जो भी पहले हो, पूरा कर लिया जाएगा.
प्रस्तावित आंबटितियों की पहचान, उनके द्वारा धारित की जाने वाली निर्गम पश्चात अधिमान्य धारिता का प्रतिशत और अधिमान्य निर्गम के परिणामस्वरूप नियंत्रण में बदलाव, यदि कोई हो.	भारत सरकार, प्रवर्तक को शेयर आबंटित करने का प्रस्ताव है. अधिमान्य निर्गम के बाद बैंक के नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि प्रवर्तक भारत सरकार प्रमुख शेयरधारक होने के नाते बैंक का नियंत्रक बना रहेगा.
इस आशय का वचन-पत्र कि इन विनिमयों के प्रावधानों के अनुसार जहां भी जरूरी हो, निर्गमकर्ता विशिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की पुनर्गणना करेगा.	लागू नहीं, क्योंकि बैंक के शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में 26 सप्ताह से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं.
यह वचन कि यदि मूल्य की पुनर्गणना के आधार पर राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है तो विशिष्ट प्रतिभूतियों को आबंटितियों द्वारा इनकी राशि का भुगतान करने तक लॉक्ड-इन रखा जाएगा.	लागू नहीं, क्योंकि बैंक के शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में 26 सप्ताह से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं.

The shareholding pattern of the Issuer before and after the Preferential Issue.	**Pre Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd. (as on 18.08.2017):** No. of Shares / % age Promoters (GoI) 1770605712 75.10 Others 587024010 24.90 **Total** **2357629722** **100.00** **Post Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd.** The Post Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd. will be determined after calculation of price on the Relevant Date of September 04, 2017 and will be informed to the Shareholders through Newspaper Advertisement and by displaying on the website as the same will be determined after issue of Postal Ballot Notice on August 21, 2017.
The time within which the Preferential Issue shall be completed.	The Preferential Allotment shall be completed within 15 days from the date of passing of Special Resolution, i.e., within 15 days from October 04, 2017 or within 15 days of the receipt of approval, if any, from GoI and/ or any other statutory/ regulatory authority in respect of Preferential Issue of Equity, whichever is later.
The identity of the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the Issuer consequent to the preferential issue.	The shares are proposed to be allotted to Government of India, the Promoter. Consequent to the Preferential issue, there will not be any change in control as Govt. of India will continue to be the Promoter of IDBI Bank.
An undertaking that the Issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these regulations where it is required to do so.	Not Applicable, as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than twenty six weeks.
An undertaking that if the amount payable on account of the re-computation of the price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottees.	Not Applicable, as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than twenty six weeks.

सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र की एक प्रति शेयरधारकों की महासभा में रखना जिसमें यह प्रमाणित करने पर विचार किया जाएगा कि प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम इन विनिमयों में की गई अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है.	अधिमान्य निर्गम के लिए मूल्य की गणना सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के खंड 76(1) के तहत सुसंगत तारीख 04 सितंबर 2017 को (डाक मतपत्र संकलन की तारीख 04 अक्तूबर 2017 से 30 दिन पहले, जो कि विशेष संकल्प पारित किए जाने की तारीख भी मानी गई है) की जाएगी. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के खंड 73(2) के अंतर्गत अपेक्षित लेखा–परीक्षक का प्रमाणपत्र डाक सुसंगत तारीख 04 सितंबर 2017 के बाद जारी किया जाएगा तथा यह मतपत्र के तहत वोटिंग की तारीख समाप्त होने तक किसी भी कार्य दिवस को सुबह 11.00 बजे और 3.00 बजे के बीच बैंक के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा. लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक की वेबसाइट www.idbi.com और कार्वी की वेबसाइट - **https://evoting.karvy.com** पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
निर्गम की राशि.	इक्विटी शेयर भारत सरकार से दिनांक 09 अगस्त 2017 को प्राप्त 1861 करोड़ रूपये की नकद राशि पर जारी किये जाएंगे.

निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके उपर्युक्त प्रयोजन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की अपेक्षा की जाती है.

बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी आईडीबीआई बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा के सिवाय उपरोक्त संकल्प को पारित करने में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, वित्तीय या अन्य रूप में, संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई – 400 005.

बोर्ड के आदेश से
कृते **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

(पवन अग्रवाल)
कंपनी सचिव

दिनांक : 21 अगस्त 2017

To place a copy of the certificate of statutory auditors before the general meeting of the shareholders, considering the proposed preferential issue certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations.	The price for Preferential Issue will be computed under clause 76(1) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as on the Relevant Date of September 04, 2017 (30 days prior to the date of completion of voting under Postal Ballot, i.e.,October 04, 2017 also deemed to be the date of passing the Special Resolution) In view of the above, Auditors' Certificate required under clause 73(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 will be issued after the Relevant Date of September 04, 2017 and will be made available for inspection at the Registered Office of the Bank between 11 a.m. and 3 p.m. on any working day upto the date of completion of voting under Postal Ballot. The Auditor's Certificate will also be displayed on the website of the Bank – www.idbi.com & website of Karvy - **https://evoting.karvy.com**
Consideration for the Issue.	The equity shares will be issued against the consideration of ₹1861 crore in cash received from Government of India on August 09, 2017.

The shareholders' approval is sought by Board of Directors for the above purpose by passing a Special Resolution in this regard.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of aforesaid Special Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.

By Order of the Board
For **IDBI Bank Limited**

(Pawan Agrawal)
Company Secretary

Dated: August 21, 2017

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

टिप्पणियां / NOTES

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK